कार्यालय कलेक्टर जिला बैतूल, समुचित सरकार,

मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

क्रमांक 32 अ–82/2019–20 हरदौली/ /2880 बैतूल दिनांक 3 – 12–2019

प्रारंभिक अधिसूचना

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक –1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची–1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(है0में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म0प्र0)	मुलताई	हरदौली	7.023	प्राधिकृत मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका परिषद मुलताई	हरदोली जल अवर्धन योजना

अनुसूची – 2

(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे./मकान
1	2	3	4	5
1	गेंद्या प्यारेलाल प्रेमलाल छोटेलाल सुंदरलाल व. कूपरचंद हीरा बेवा कूपरचंद नरबदी बेवा फूलचंद रामवती ना.बा.पिता बैनू वली मां नान्ही बेवा बैनू मेहरा भूमि पारडसिंगा	3	3.666	1.450
		5	0.364	0.364
2	सीताराम गणेश वल्द बीरबल जगोती पिता बीरबल रामा वल्द झुम्मकलाल इमला पिता जगन्नाथ लक्ष्मी बेवा जगन्नाथ रखिया बेवा गेंदलाल लक्ष्मण पिता गेंदलाल जिन्दालाल वल्द महपत भावजी वल्द मल्लू लउको बेवा महपत कुंबी	4/1	0.144	0.144
3	चैतराम वल्द शिवजी सुरोपी पत्नि शिवजी रमेश श्यामराव वल्द रोडया अंगद पिता अजाबराव रघुनाथ पिता अजाबराव बाली पिता अजाबराव, अनिता पिता अजाबराव मोना पिता अजाबराव	7	0.324	0.324
		8	3.230	1.450

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे./मकान
1	2	3	4	5
4	गबा लंगड़ा बाबू वल्द बाज्या गजो पिता बाज्या श्यामा वल्द सूखा सोनी बेवा सूखा सा.पारडसिंगा	24	1.424	1.424
5	मंसाराम, हंसु, दसन वल्द छितरू रमोसी, रमोती पिता छितरू लंगी बेवा छितरू, सुखदेव, सहादेव, महादेव वल्द ओझा, फुलवंती, भागवंति पिता ओझा, जैयना बेवा ओझा जाति गायकी सा.देह भूमि स्वामि	29	0.713	0.713
6	पूर्णा बे. ढेपल्या , भादु व ढेपल्या भागा सावल नान्ही पिता ढेपल्या	36/2	1.102	0.160
7	ढुल्या व साजू रैसुल तुलस कौशुल पिता साजू	38	1.518	0.670
8	खिमिया पति हीराजी चैती बेवा सावन्या	39/1	0.324	0.324
	योग		**12.809**	**7.023**

1– चूंकि हरदोली जल अवर्धन योजना हेतु ,हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

2– भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

3– कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4– समुचित सरकार की वेबसाइट www. betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,

(तेजस्वी एस.नायक)
कलेक्टर बैतूल एवं समुचित सरकार,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पृ0क्र0 32 अ–82/वर्ष 19–20/हरदोली/ बैतूल दिनांक 3-12-2019

प्रतिलिपिः–

1– उपनियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री केन्द्रीय मुद्रणालय, म0प्र0 भोपाल की ओर म0प्र0 राजपत्र भाग एक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।

2– संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास, भोपाल को सूचनार्थ (पांच प्रतियों में) अग्रेषित। कृपया उक्त अधिसूचना का प्रकाशन दो दैनिक समाचार पत्रों में कर इस कार्यालय को अवगत कराने तथा समाचार पत्रों की प्रतियां भी भेजने का कष्ट करें।

3– मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर परिषद मुलताई की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। अधिसूचना का प्रकाशन कार्यालयीन सूचना पटल पर करवाया जाकर पालन प्रतिवेदन तथा प्रकाशन के पेपर प्रतियां एक माह के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

4– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी बैतूल की ओर समूचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर अपलोड किए जाने हेतु अग्रेषित ।

5– प्रभारी अधिकारी (नजारत शाखा) कलेक्टर कार्यालय बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

6– अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुलताईकी ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

7– तहसीलदार मुलताई की ओर (तीन प्रतियों में) में अग्रेषित । एक प्रति तहसील कार्यालय में तथा एक प्रति अर्जन हेतु प्रस्तावित स्थल पर चस्पा करावे एवं एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

8– जिला जनसम्पर्क अधिकारी, बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित । प्रकाशित विज्ञापन की प्रति कलेक्टर (भू–अर्जन शाखा) बैतूल को उपलब्ध करावें।

9– सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत मालेगांव तहसील मुलताई जिला बैतूल (म0प्र0) की ओर उक्त प्रकाशन ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर करवाने हेतु अग्रेषित ।

अपर कलेक्टर
एवं प्र0अ0 भू–अर्जन, बैतूल